<u>मुन्तकिली प्रकरण सं0 76/2016 अनवानी बनवारीलाल पुत्र चेतनराम जाति भाट निवासी चक बाजुवाला तहसील, रायसिंहनगर बनाम श्री बजरंगलाल मीणा तहसीलदार, रायसिंहनगर 2– सोहनलाल पुत्र चेतनराम जाति भाट निवासी चक 3एनजैडपी तहसील रायसिंहनगर 3–सोमादेवी पुत्री चेतनराम पत्नि फूलाराम जाति भाट निवासी चक बाजुवाला तहसील रायसिंहनगर</u>

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

<u>06.03.2017</u>

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बनवारीलाल के अभिभाषक श्री जीतपाल सिंह सैनी उपस्थित है। अप्रार्थी सोहनलाल के अभिभाषक श्री तेजा सिंह उपस्थित है। दोनो पक्षो के अभिभाषकगण को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अप्रार्थी सोहनलाल के अभिभाषक का कथन है कि प्रार्थी द्वारा न्यायालय तहसीलदार, रायिंहनगर में लम्बित प्रकरण संख्या 97/2008 अनवानी सोहनलाल बनाम सरकार वगैरा में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना के कारण अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करवाने के लिए यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 54 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया है। चूंकि तहसीलदार, रायसिंहनगर सेवानिवृत हो गये है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। अतः यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र इसी आधार पर खारिज किया जावे।

प्रार्थी के अभिभाषक को भी उक्त आधार पर मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने पर कोई आपति नही है।

मैने दोनो पक्षो की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी द्वारा न्यायालय तहसीलदार, रायिंहनगर में लम्बित प्रकरण संख्या 97/2008 अनवानी सोहनलाल बनाम सरकार वगैरा में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना के कारण अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करवाने के लिए यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 54 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया है। चूंकि तहसीलदार, रायसिंहनगर दिनांक 01.01.2017 को सेवानिवृत हो गये है। इसलिए अब यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। पक्षकारान के अभिभाषकगण को भी उक्त आधार पर मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने पर कोई आपति नही है। अतः मुन्तकिली प्रा0 पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति तहसीलदार, रायसिंहनगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। यह पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 06.03.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर